https://www.govtstaff.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2127
ANSWERED ON TUESDAY, THE 22ND MARCH, 2022

VIOLATION OF FACELESS ASSESSMENT PROCEDURE BY IT OFFICIALS

2127. SHRI LUIZINHO JOAQUIM FALEIRO:
Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) the details of faceless assessments conducted, including penalty procedures and disposals under the faceless assessment procedure prescribed under the Income Tax Act and rules thereunder;
(b) whether Income Tax Officers are aware about the provision of Section 5A of the Income Tax Act, 1961 which allows income to be apportioned equally between spouses;
(c) whether Central Processing Centre (CPC) Bangalore processes the Income Tax returns without applying the provisions of Section 5A in several cases resulting in hardships and harassments to the tax payers of Goa;
(d) if so, the details thereof; and
(e) the action taken against the erring officials?

ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) The details are as under:

Faceless Assessment:

Financial Year	**Cases Assigned/Selected**	**Assessment Orders passed during the F.Y.**
2019-20	58,308	1,707
2020-21	1,35,672	1,02,913
2021-22 (as on 30.12.2021)	1,72,294	67,148

-----continued-----

https://www.govtstaff.com

Faceless Penalty:

Financial Year	Cases Assigned/ Selected	Cases Kept in Abeyance	Cases disposed in Financial Year
2021-22 (as on 30.12.2021)	6,20,352	2,16,938	3,29,880

(b) Yes, Sir.

(c) Central Processing Centre processes the returns of income in accordance with the provisions of law, based on the data made available in the return of income.

(d)& (e) Does not arise.

*****

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2127

(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 मार्च, 2022/1 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है)

आयकर अधिकारियों द्वारा फेसलेस मूल्यांकन प्रक्रिया का उल्लंघन

2127. श्री लूइझिनो जोएक्विम फलेरोः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयकर अधिनियम और उसके नियमों के तहत निर्धारित फेसलेस मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रियाओं और निपटान सहित किए गए फेसलेस मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयकर अधिकारियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5क, जो आय को पति-पत्नि के बीच समान रूप से विभाजित करने की अनुमति देती है, के उपबंध के बारे में जानकारी है;

(ग) क्या केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी), बैंगलोर कई मामलों में धारा 5क के उपबंधो को लागू किए बिना आयकर विवरणी की प्रक्रिया पूरी करता है जिसके परिणामस्वरूप गोवा के करदाताओं को कठिनाई और परेशानी उठानी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) विवरण निम्न प्रकार हैः

फेसलैस निर्धारण

वित्त वर्ष	निर्दिष्ट/चयनित मामले	वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए निर्धारण आदेश
2019-20	58,308	1,707
2020-21	1,35,672	1,02,913
2021-22 (30.12.2021 तक)	1,72,294	67,148

.....जारी.....

https://www.govtstaff.com

फेसलैस पेनाल्टी-

वित्त वर्ष	निर्दिष्ट/चयनित मामले	स्थगन में रखे गए मामले	वित्त वर्ष में निपटाए गए मामले
2021-22(30.12.2021 तक)	6,20,352	2,16,938	3,29,880

(ख) जी हाँ।

(ग) केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र कानून के उपबंधों के अनुसार आयकर विवरणी में उपलब्ध कराये गए डेटा के आधार पर आयकर विवरणी का संसाधन करता है।

(घ) एवं (ड़) प्रश्न नहीं उठता।

*****